न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/16/2018 दायर दिनांक 21.03.2018

उनवान

अविनाश **बनाम** परसा

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 31.08.2023

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित। पूर्व में तहसीलदार, भूपालसागरद्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त, शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा एकतरफा बहस की गई। निवेदन किया गया कि बंटवारा प्रस्ताव पर कोई आपति नहीं हुई है, अतः श्रीमान बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री जारी करवाई जाये। हमने वकील वादी की बहस एकतरफा सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन कर मनन किया। वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है। निर्णय एवं डिक्री पृथक से जारी कर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2023.09.18 18:16:19 IST
Reason: SelfAttested

(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर